न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण क.—03 / 16</u> <u>संस्थापित दिनांक—13.01.2016</u> Filling number-235103001232015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1— कपूरा पुत्र हलुआ अहिरवार उम्र 55 साल
- 2- राजपाल पुत्र कपूरा अहिरवार उम्र 22 साल
- 3— जसवंत पुत्र कपूरा अहिरवार उम्र 26 साल
- 4- शिशुपाल पुत्र कपूरा अहिरवार उम्र 19 साल निवासीगण – ग्राम कुकरेजा पिपरई

.....आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :-

(आज दिनांक 21.04.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324 विकल्प में 324/34, 506 भाग दो भा0द0वि० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 07.10.2015 को समय रात 8:30 बजे या उसके लगभग थाना पिपरई स्थित ग्राम आमपुरा चक्क लोक स्थल पर अश्लील शब्द उच्चारित किये, जिससे परिवादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया एवं परिवादी/आहत रूमाल सिह, नत्थूलाल को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत रूमाल सिह, नत्थूलाल को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रूमालसिह, नत्थूलाल को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी, आहत रूमाल सिंह, नत्थूलाल एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 21.04.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी कपूरा, राजपाल, जशवंत, शिशुपाल को भा.द.वि की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी रूमाल सिंह पिता नत्थूलाल एवं पुत्र वीरसिंह, भाई गुलाबसिंह के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 07.10.2015 को करीब रात 8:30 बजे की बात है कि गाँव में

मुंगालाल की देलान में गाँव की झांकी का चंदा इकट्ठा कर रहे थे की इसी बात पर उसके लडके वीरसिह तथा कपूरा का लडका राजपाल में आपस में वातावरण हो गया था वह उसे समझाने उसके घर के पास गये तो शिशुपाल, राजपाल, जसवंत और कपूरा उन्हें मां बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगे, उसने गाली देने से मना किया तो कूपरा ने उसे पत्थर की चिनखारी उठाकर मारी जो उसके सिर में लगी, सिर के पीछे तरफ लगकर खून निकल आया व उसके गिरने से उसके बांये पैर के अंगूठा में मी चोट आ गई, उसके पिता नत्थूलाल बचाने आये तो राजपाल ने उनको भी चिनखारी उठाकर मारी जो उनके भी सिर में पीछे तरफ लगकर खून निकल आया मौके पर मौजूद उसके लडके कृष्णपाल, वीरसिह तथा भाई पप्पू व गुलाब उर्फ गुल्ली ने बीच बचाव किया व घटना देखी है। आरोपीगण ने उन्हें रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.10.2015 को समय रात 8:30 बजे उसके लगभग थाना पिपरई स्थिम ग्राम आमपुरा चक्क लोक स्थल पर परिवादी/आहत रूमाल सिंह, नत्थूलाल को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की ?

विकल्प

क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत रूमाल सिंह, नत्थूसिंह को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रूमाल सिंह, नत्थूलाल को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी रूमाल अ0सा02 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 1 साल पहले की होकर सुबह 9 बजे की है। घटना दिनांक को वह गाँव में मुंगालाल की देलान में गाँव की झांकी का चंदा इकट्ठा कर रहा था, तो इसी बात पर उसके लडके वीर सिह तथा कपूरा के लडके राजपाल में आपस में बातचीत हो गई थी। वह राजपाल को समझाने उसके घर के पास गया तो शिशुपाल, राजपाल, जशवंत, कपूरा से उसकी गाली गलौच हो गई थी, उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण से धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से उसके सिर में पीछे की तरफ हल्की चोट आ गई थी।

07— फरियादी रूमाल अ0सा02 ने बताया कि घटना के समय उसके पिता नत्थूलाल आ गये थे तो आरोपीगण की उनके साथ भी बातचीत और धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हें भी हल्की फुल्की चोट आ गई थी। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना पिपरई में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 3 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका तथा उसके पिता का पिपरई अस्पताल में इलाज कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

08— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी रूमाल अ0सा02 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि कपूरा ने उसे पत्थर की चिनखारी उठाकर मारी सिर में लगी, सिर में पीछे की तरफ खून निकल आया व गिरने से उसके बांये पैर के अंगुठे में भी चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि उसके पिता नत्थूलाल को राजपाल ने चिनखारी उठाकर मारी थी तो उनके सिर में भी पीछे की तरफ खून निकल आया था। इस बात से इंकार किया कि मौके पर उसका लड़का कृष्णपाल, वीरसिह तथा भाई पप्पू व गुलाब उर्फ गुल्ली ने बीच बचाव किया व घटना देखी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 3 पुलिस कथन प्र.पी. 5 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि वैसी रिपोर्ट व उक्त कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात स्वीकार किया कि उसका व उसके पिता नत्थूलाल का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

09— अभियोजन साक्षी नत्थू अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनो मे बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 1 साल पहले की होकर सुबह 9 बजे की है। घटना दिनांक को गाँव के बच्चे झांकी लगाने के लिये चंदा इकट्ठा कर रहे थे, जिनमें उसका नाती वीरिसह, और आरोपी कपूरा का लडका राजपाल भी था, दोनो ने बातचीत होने लगी थी तो उसका लडका रूमाल कपूरा के पास उसे समझाने गया तो शिशुपाल, राजपाल, जशवंत, कपूरा से उसके लडके रूमाल की गाली गलीच हो गई थी, उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण से धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से उसके लडके रूमाल के सिर में पीछे की तरफ हल्की चोट आ गई थी। घटना के समय जब वह गया तो आरोपीगण की उसके साथ भी बातचीत और धक्का

मुक्की हो गई थी जिससे उसे भी हल्की फुल्की चोट आ गई थी।

- 10— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी नत्थू अ0सा03 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि उसके बेटे रूमाल ने आरोपीगण को गाली देने से मना किया था, कपूरा ने पत्थर की चिनखारी उठाकर उसके बेटे के सिर मारी, सिर में पीछे की तरफ लगकर खून निकल आया। इस बात से इंकार किया कि हाथ से चिनखारी छुटकर गिरने से मेरे बेटे बांये पैर के अंगुठे में लगी। इस बात से इंकार किया कि उसने बीच बचाव किया था। राजपाल ने उसे भी चिनखारी उठाकर मारी थी जिससे सिर में भी पीछे की तरफ खून निकल आया था। इस बात से इंकार किया कि मौके पर वीरसिह, कृष्णपाल, गुलाब उर्फ गुल्ली तथा गाँव के अन्य लोगो ने बीच बचाव किया तथा सभी ने उन्हें बचाया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 6 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि उक्त कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया है कि वह व उसका लडका रूमाल का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।
- 11— डॉ. विनोद जैन अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उसके द्वारा दिनांक 08.10.2015 को आहत रूमाल सिह, आहत नत्थूलाल का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उक्त आहतगण को चोटे आने का उल्लेख है। आहतगण को आई हुई चोटे सामान्य प्रकृति की होकर वोथरी वस्तु से आना उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया है कि आहतगण को जो चोटे आई है वह किसी भी तरह से सिर के बल गिरने से आना संभव है। साक्षी रूमाल व नत्थूलाल ने भी उनको आई हुई चोटे पत्थर पर गिर जाने से आना व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण ने उन्हें जो चोटे आई है उक्त चोट आरोपीगण द्वारा नहीं पहूँचाया जाना व्यक्त किया है।
- 12— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं परिवादी/आहत रूमाल सिंह, नत्थू द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की में गिरने से उन्हें चोट आई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी रूमाल अ०सा०२ व नत्थू अ०सा०३ ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि आरोपी कपूरा और राजपाल ने रूमाल व नत्थूआ की पत्थर व चिनखारी से कोई मारपीट नहीं की हो। उक्त साक्षीगण ने व्यक्त किया कि धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से उन्हें चोट आई थी।
- 13— इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 07.10.2015 को समय रात 8:30 बजे उसके लगभग थाना

पिपरई स्थिम ग्राम आमपुरा चक्क लोक स्थल पर परिवादी/आहत रूमाल सिंह, नत्थूलाल को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत रूमाल सिंह, नत्थूसिंह को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत रूमाल सिंह, नत्थूलाल को किसी धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की ।अतः आरोपी कपूरा, राजपाल, जसवंत, शिशुपाल के विरूद्ध धारा 324 विकल्प 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 14— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 15- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 16- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0